लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5011
01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग के लिए रूपरेखा

5011. श्री अमरसिंग टिस्सो:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2030 तक हथकरघा और हस्तशिल्प सहित वस्त्र क्षेत्र के विकास के लिए रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रूपरेखा में रेखांकित किए गए मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य और पहल क्या हैं;

(ग) उक्त योजना के तहत रोजगार सृजन, निर्यात और आर्थिक विकास में वस्त्र क्षेत्र के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन, संधारणीयता संबंधी उपायों और कौशल विकास सहित भारतीय वस्त्रों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या असम, विशेषकर कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में वस्त्र कारीगरों और बुनकरों के उत्थान के लिए कोई कार्यक्रम या निवेश की योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ङ): सरकार टेक्सटाइल 2030 विजन को हासिल करने के लिए उच्च तकनीक और उच्च विकास वाले उत्पाद खंडों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, अंतर्निहित शक्तियों का लाभ उठा रही है, बड़े पैमाने पर प्लग एंड प्ले अवसंरचना विकसित कर रही है, बड़े पैमाने पर आजीविका के अवसर सुनिश्चित करते समय स्थिरता को केंद्र में रख रही है, हथकरघा और हस्तशिल्प सहित पारंपरिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और देश भर में विभिन्न योजनाओं/पहलों को लागू करके कच्ची सामग्री की मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर बन रही है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना, जिसका उद्देश्य आधुनिक, एकीकृत, विश्व स्तरीय वस्त्र अवसंरचना बनाना है; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान नवाचार एवं विकास, संवर्धन एवं बाजार विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; मांग आधारित रोजगार उन्मुख, कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु समर्थ योजना; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; हथकरघा क्षेत्र को संपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम शामिल हैं। वस्त्र मंत्रालय हस्तशिल्प कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना भी क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के तहत विपणन, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

वस्त्र उद्योग देश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जो सीधे तौर पर 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2023-24 के दौरान हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल का कुल 35,874 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात दर्ज किया गया।

इसके अलावा, भारतीय वस्त्र की वैश्विक ब्रांडिंग के लिए, सरकार ने प्रीमियम गुणवत्ता वाले भारतीय कपास को एक विशिष्ट पहचान देने के लिए कस्तूरी कॉटन इंडिया के ब्रांड को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत किया है।

भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की सहायता से वस्त्र निर्यात विकास परिषदों (ईपीसी) द्वारा एक सफल वैश्विक मेगा टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 का आयोजन किया गया जिसमें कच्ची सामग्री से लेकर तैयार उत्पादों तक की पूरी मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हुए एक प्रमुख वस्त्र विनिर्माण हब के रूप में भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय वस्त्रों की विविधता और समृद्धि पर प्रकाश डाला गया, साथ ही उद्योग की विनिर्माण शक्ति, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ स्थिरता और सर्कुलेरिटी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया गया।

असम में हथकरघा बुनकरों के उत्थान के लिए पिछले दस वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है:

- 88 लघु हथकरघा कलस्टरों और 2 मेगा हथकरघा कलस्टरों को 89.45 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है, जिससे 68,652 हथकरघा कामगारों को लाभ मिलेगा। इनमें से, दीमाहासाओ जिले के हरंगाजाओ में एक छोटे हथकरघा क्लस्टर को 94.23 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है, जिससे 626 हथकरघा बुनकरों को लाभ मिलेगा।

- टूरिज्म के साथ शिल्प के विकास को जोड़ने के लिए, मोहपारा (असम) में शिल्प हथकरघा गांव की स्थापना की गई है।

- प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 1.09 लाख से अधिक लाभार्थी नामांकित किए गए।

- परिवहन सब्सिडी और मूल्य सब्सिडी के अंतर्गत कुल 15.10 लाख किलोग्राम यार्न की आपूर्ति की गई, जिससे 39,000 से अधिक हथकरघा संगठनों /बुनकरों को लाभ मिला।

कारीगरों के उत्थान के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत विपणन कार्यक्रमों, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, उत्पादक कंपनियों के गठन, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता, अनुसंधान और विकास सहायता आदि के माध्यम से एंड-टू-एंड समर्थन के लिए आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान की जाती है, जिससे असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों सहित देश भर के पारंपरिक शिल्प और कारीगरों को लाभ मिलता है।

***